



2026:AHC:33167

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 15290/2024

एचसीपी ज्ञानेंद्र कुमार

..... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: पुनीत खरे, शुभम टंडन

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार।

1. रिट याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता पुनीत खरे के साथ-साथ श्री शुभम टंडन तथा राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री वी.के. श्रीवास्तव को दलीलें सुनी गईं।
2. चूँकि पक्षों के बीच शपथपत्रों का आदान-प्रदान हो चुका है और वे कोई और शपथपत्र दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं, इसलिए रिट याचिका का निपटारा प्रारंभिक चरण में ही किया जा रहा है।
3. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसे 01.05.1982 का पुलिस कांस्टेबल के पद पर नियुक्त किया गया था, वर्ष 2017 में हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत किया गया था, और वह 31.03.2021 को सेवानिवृत्त हो गया था। रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, दो आदेश पारित किए गए थे—एक 31.03.2021 का और दूसरा 03.10.2022 का—जिनके द्वारा रिट याचिकाकर्ता के वेतनमान और वेतन को निर्धारित रूप से पुनः निर्धारित करने तथा वसूली करने का प्रयास किया गया था। ये आदेश रिट-ए संख्या 21241/2022 (एचसीपी ज्ञानेंद्र कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य) में चुनौती का विषय थे, जिसका निस्तारण 23.02.2023 को किया गया; इसका विवरण नीचे दिया गया है:-

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-प्रत्यर्थियों की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया, जिन्होंने पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत के हस्ताक्षर से दिनांक 22.02.2023 के लिखित निर्देश प्रस्तुत किए हैं, जिन्हें अभिलेख पर ले लिया गया है। इस याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता निम्नलिखित अनुतोषों की प्रार्थना करता है, जो इस प्रकार हैं:-

(i) प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा पारित दिनांक 3.10.2022 के आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक-1) तथा प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा पारित दिनांक 31.03.2021 के आदेश (अनुलग्नक-3) को रद्द करने हेतु उत्प्रेषण की प्रकृति का कोई रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी किया जाए।

(ii) परमादेश की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें संबंधित प्रतिवादी अधिकारियों को यह आदेश दिया जाए कि वे दिनांक 29.04.2021 के पेंशन आदेश में संशोधन करें और याचिकाकर्ता के सेवानिवृत्ति संबंधी बकाया/लाभों—जिसमें पेंशन और अवकाश नकदीकरण आदि शामिल हैं—का भुगतान उनकी अंतिम निर्धारित/आहरित मूल वेतन, यानी 60,400/- रुपये के आधार पर करें; साथ ही, इस पर लागू होने वाले अन्य भत्तों और उस पर लगने वाले लागू ब्याज का भुगतान भी करें।”

न्यायालय ने विद्वान स्थायी अधिवक्ता से यह निर्देश प्राप्त करने को कहा था कि यह कटौती क्यों की गई है; और प्राप्त लिखित निर्देशों के अनुसार, यह बताया गया है कि वर्ष 2006 में गलत वेतन-निर्धारण किया गया था, जबकि याचिकाकर्ता 31.03.2020 को सेवानिवृत्त हुआ था।

लिखित निर्देशों पर ध्यान देने के बाद, जहाँ इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता सेवानिवृत्त हो चुका है और कथित गलत वेतन निर्धारण के संबंध में

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



याचिकाकर्ता की ओर से कोई गलती नहीं है, तदनुसार, अधिकारियों ने दिनांक 03.10.2022 और 31.03.2021 के आक्षेपित आदेश पारित करते समय, पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम रफीक मसीह (व्हाइट वॉशर) (2015) 4 एससीसी 334 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर ध्यान नहीं दिया है। रफीक मसीह (पूर्वोक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ में, पैराग्राफ 18 में निम्नलिखित सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं:

“18. कठिनाई की उन सभी स्थितियों की परिकल्पना करना संभव नहीं है, जो वसूली के मुद्दे पर कर्मचारियों पर लागू होंगी—विशेषकर उन मामलों में, जहाँ नियोक्ता द्वारा गलती से कर्मचारियों को उनकी पात्रता से अधिक भुगतान कर दिया गया हो। बहरहाल, ऊपर बताए गए निर्णयों के आधार पर, हम त्वरित संदर्भ के लिए, उन कुछ स्थितियों का सारांश प्रस्तुत कर सकते हैं, जिनमें नियोक्ताओं द्वारा की जाने वाली वसूली कानूनन अनुमेय नहीं होगी:

- (i) श्रेणी-III तथा श्रेणी-IV सेवा (अथवा समूह 'ग' तथा समूह 'डी' सेवा) के कर्मचारियों से वसूली।
- (ii) सेवानिवृत्त कर्मचारियों अथवा ऐसे कर्मचारियों से, जो एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं, वसूली आदेश के अनुसार वसूली।
- (iii) वसूली आदेश जारी करने से पहले, उन कर्मचारियों से अधिक भुगतान की वसूली, जिन्हें पाँच वर्ष से अधिक समय के लिए अतिरिक्त भुगतान किया गया था।
- (iv) उन मामलों में वसूली, जहाँ किसी कर्मचारी से गलत तरीके से किसी उच्च पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने की अपेक्षा की गई हो और उसे तदनुसार भुगतान भी किया गया हो, जबकि उसे सही तौर पर किसी निम्न पद पर कार्य करने के लिए कहा जाना चाहिए था।
- (v) किसी भी अन्य मामले में, जहाँ न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि यदि कर्मचारी से वसूली की जाती है, तो वह इस हद तक अन्यायपूर्ण, कठोर या मनमानी होगी कि वह, वसूली करने के नियोक्ता के अधिकार के न्यायसंगत संतुलन पर भारी पड़ जाएगी।”

यह स्वीकार्य है कि इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से किसी भी प्रकार के गलत बयानी या धोखाधड़ी का कोई मामला प्रतीत नहीं होता है।

ऐसी परिस्थितियों में, दिनांक 03.10.2022 और 31.03.2021 के आक्षेपित आदेशों को कार्यान्वित नहीं रखा जा सकता और उन्हें रद्द किया जाता है। इस मामले को संबंधित प्राधिकारों के पास वापस भेजा जाता है, ताकि वे इस मामले की नए सिरे से जांच करें और रफीक मसीह (पूर्वोक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर, उचित आदेश पारित करें। याचिकाकर्ता को देय सभी सेवानिवृत्ति राशि अगले दो महीनों में जारी की जाएगी।

बकाया राशि पर ब्याज के दावे के बारे में, याचिकाकर्ता उपयुक्त मंच के समक्ष यह शिकायत उठा सकता है।

तदनुसार, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।”

याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत सुधार हेतु यह आवेदन इस सीमित प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 23.02.2023 के आदेश के तीसरे पैराग्राफ की अंतिम पंक्ति में, वर्ष '2021' के स्थान पर '2020' अंकित हो गया है।

उपर्युक्त बातों पर विचार करने के बाद, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की दलील सही प्रतीत होती है। तदनुसार, आवेदन स्वीकार किया जाता है। दिनांक 23.02.2023 का आदेश

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



संशोधित माना जाएगा और उसके तीसरे पैराग्राफ की अंतिम पंक्ति में, वर्ष '2020' को '2021' पढ़ा जाएगा।

सुधार के आदेश को दिनांक 23.02.2023 के मूल आदेश के साथ पढ़ा जाएगा।

कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह निर्धारित शुल्क के भुगतान पर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को आदेश की एक संशोधित प्रति उपलब्ध कराए।”

4. रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, उक्त आदेश पारित होने के पश्चात्, रिट याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थियों के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया; तथापि, कोई निर्धारण नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप, प्रत्यर्थियों को यह निर्देश देने के लिए वर्तमान रिट याचिका दायर की गई कि वे रिट याचिकाकर्ता के अंतिम आहरित वेतन को 56,900/- रुपये के बजाय 60,400/- रुपये के रूप में संशोधित करें, तथा इसी अंतिम आहरित वेतन के आधार पर पेंशन निर्धारित करें और उकाया राशि का भुगतान भी करें। रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह दलील दी कि प्रत्यर्थियों द्वारा रिट याचिकाकर्ता के मूल वेतन को 60,400/- रुपये से घटाकर 58,600/- रुपये करने की पूरी कार्रवाई न केवल एकतरफा है, बल्कि रिट याचिकाकर्ता को बिना कोई सूचना दिए, उसकी पीठ पीछे की गई है। निवेदन यह है कि यद्यपि नियोक्ता द्वारा कोई त्रुटि हो सकती है, तथापि एक ऐसी प्रक्रिया विद्यमान है जिसका सहारा लिया जाना चाहिए।
5. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री बी.के. श्रीवास्तव का यह निवेदन है कि नियोक्ता के लिए त्रुटियों को सुधारने का विकल्प खुला था, परंतु उनके अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि कोई आदेश पारित नहीं किया गया है; और स्पष्टतः, रिट याचिकाकर्ता को सूचना दिए बिना कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता।
6. मैंने प्रस्तुत की गई दलीलें सुनी हैं और अभिलेखों का अवलोकन किया है। प्रथम दृष्टया, दिनांक 31.03.2021 और 03.10.2022 के आदेश को रद्द किए जाने हेतु, एक रिट याचिका रिट ए संख्या 21241/2022 दायर की गई थी, जिसे दिनांक 23.02.2023 को स्वीकार कर लिया गया। मूल प्रश्न यह है कि क्या कर्मचारियों के हितों को नज़रअंदाज़ करते हुए, एकतरफा ढंग से वेतन का पुनर्निर्धारण किया जा सकता है। इसका उत्तर स्पष्ट रूप से “नहीं” है। नियोक्ता को रिट याचिकाकर्ता/प्रभावित पक्ष को नोटिस देना होगा, उनसे स्पष्टीकरण मांगना होगा, और फिर एक आदेश पारित करना होगा जिसमें उस रिपोर्ट में उठाए गए सभी तर्कों को शामिल किया गया हो। चूंकि यह प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है, और अभिलेख पर ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं है जिससे यह पता चले कि आदेश पारित करते समय मामले पर उचित रूप से विचार-विमर्श किया गया था। अतः, रिट याचिका का निर्णय निम्नलिखित शर्तों पर किया जा रहा है:  
(क). रिट याचिकाकर्ता 13.03.2026 तक वित्त नियंत्रक/मुख्य लेखा अधिकारी, पुलिस मुख्यालय, लखनऊ यानी प्रत्यर्थी संख्या 3 के पास रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक व्यापक अभ्यावेदन दायर करेगा।  
(ख). उक्त अभ्यावेदन पर, प्रत्यर्थी संख्या 3 उसके दो सप्ताह के भीतर कारण बताओ नोटिस जारी करेगा, और रिट याचिकाकर्ता उसके दो सप्ताह के भीतर उसका जवाब देगा; और इस प्रकार निर्धारित तिथि के दो माह बाद, रिट याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए सभी तर्कों पर विचार करते हुए, एक तर्कसंगत और स्पष्ट आदेश पारित किया जाएगा।
7. उपर्युक्त निर्देशों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार।)

13 फरवरी, 2026

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”